अर्द्धशा.परिपत्र संख्याः डीजी-36/2013

देवराज नागर
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनाँकः जुलाई 15, 2013

प्रिय महोदय,

वर्तमान बदलते परिवेश में बढ़ती हुई आबादी तथा वाहनों की संख्या में हुई वृद्धि से यातायात व्यवस्था की समस्या अत्यन्त ही विकट होती जा रही है। इससे जहां एक ओर जाम आदि में फंसकर आम जनता का समय खराब होता है, वहीं दुर्घटना में व्यक्तियों की मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में औसतन प्रतिवर्ष 15500 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होती है। यातायात व्यवस्था में सुधार एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु यातायात से जुड़े विभिन्न विभागों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा जन प्रतिनिधियों के साथ मेरी अध्यक्षता में दिनाँक 12.06.2013 को एक परिचर्चा आयोजित की गई थी, जिसमें यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु विचार-विमर्श किया गया था।

2 चूंकि यातायात व्यवस्था से हमारा विभाग सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है तथा जनमानस में यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु अन्य विभागों के सापेक्ष पुलिस विभाग से ही अत्यधिक अपेक्षायें होती हैं, अतः यह आवश्यक है कि हम यातायात व्यवस्था के सुधार तथा सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु की संख्या कम करने हेतु अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करें। इस हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जा रहे हैं :-

(1) यातायात पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी पूरी सतर्कता से एवं सजग रहकर करें। इसके लिए यातायात पुलिस कर्मियों की जनपद स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर उन्हें संवेदनशील बनाया जाय और अपनी ड्यूटी करने हेतु प्रेरित किया जाय ।

(2) जनपद स्तरीय कार्यशाला में यातायात पुलिस कर्मियों को यातायात के सिग्नल एवं संकेतों की भी जानकारी दी जाय ।

(3) यातायात पुलिस के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के यातायात उपकरणों का प्रयोग प्रवर्तन कार्य में किया जाय ।

(4) यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध रूप से वाहन चालकों से वसूली किए जाने सम्बन्धी शिकायतों पर पूर्ण रोक लगाया जाय। यातायात पुलिस कर्मियों को यह बताया जाय कि अवैध वसूली करना अपराध है। अवैध वसूली में लिप्त यातायात पुलिस कर्मियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय ।

(5) रोडवेज, ट्रान्सपोर्ट यूनियन, अन्य विभागों के वाहन चालकों तथा निजी वाहन चालकों आदि की भी कार्यशालायें आयोजित की जायं। कार्यशाला के दौरान इन चालकों को सुरक्षित वाहन चालन तथा यातायात नियमों के पालन हेतु कहा जाय ।

(6) जनपद में परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से समय-समय पर साझा अभियान चलाया जाय।

(7) जनता में जागरूकता पैदान करने के उद्देश्य से विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों आदि का अधिक से अधिक सहयोग लिया जाय ।

(8) यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कड़ी प्रभावी कार्यवाही की जाय। इसमें किसी प्रकार की छूट न दी जाय ।

(9) जनपदों में दुर्घटना बाहुल्य स्थलों का चिन्हांकन और ऐसे स्थलों पर दुर्घटना के कारणों की सही पहचान की कार्यवाही निरन्तर की जाय ताकि आवश्यक उपाय कर दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके ।

(10) बिना लाइसेन्स वाहन चालकों के विरूद्ध निरन्तर प्रभावी कार्यवाही की जाय ।

(11) ओवर लोड वाहनों के विरूद्ध सतत प्रभावी कार्यवाही की जाय ।

(12) सड़क पर गलत दिशा में चलने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय ।

(13) नो-पार्किंग में खड़े वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय ।

(14) खतरनाक, अंधे मोड़ एवं दुर्घटना बाहुल्य स्थानों पर संकेतक चिन्ह लगवाया जाय ।

(15) वाहनों के शीशों पर किसी भी प्रकार की फिल्म लगाने पर मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश से प्रचलित रोक को प्रभावी ढंग से लागू किया जाय ।

3. मुझे विश्वास है कि आप जनपद स्तर पर यातायात कर्मियों को निष्ठापूर्ण दायित्वों के निर्वहन हेतु संवेदनशील एवं प्रोत्साहित करेंगे। यदि आप समझते हैं कि जनपद में यातायात पुलिस का नियतन अपर्याप्त हैं तो अपने स्तर से सिविल पुलिस की भी सहायता ले सकते हैं। उपरोक्त निर्देशों पर नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही करते हुए अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सुचारू यातायात व्यवस्था बनाने हेतु कार्यवाही करते रहेंगे, जिससे कि आम जनता को यातायात समस्या से राहत मिले तथा सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या कम हो सके ।

4. जनपद स्तर पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में संलग्न निर्धारित प्रारूप-01 व 02 में प्रत्येक माह की मासिक आख्या अगले माह की 07 तारीख तक परिक्षेत्र/जोन के माध्यम से यातायात निदेशालय को अवश्य प्रेषित किया जाय ।

भवदीय,

(देवेश नागर)
14-2-13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।
संलग्नकः यथोपरि ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्त के सम्बन्ध में जनपदों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित -

1. अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 ।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।

प्रारूप-1

यातायात नियमों/संकेतों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण

जनपद का नाम	विभिन्न यातायात उपकरणों द्वारा किये गये चालानों की संख्या	वाहन चालकों से अवैध वसूली के कारण कितने कर्मियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही की गयी	परिवहन/पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाये गये अभियानों की संख्या	बिना ड्राइविंग लाइसेन्स वाहन चलाना	ओवरलोडिंग	सड़को पर गलत दिशा में चलने के कारण	नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर	खतरनाक, अंधे मोड़ एवं दुर्घटना बाहुल्य स्थलों पर लगवाये गये संकेतक बोर्डों की संख्या	वाहनों के शीशों पर किसी भी प्रकार की फिल्म लगी होने के कारण	यातायात नियमों/ संकेतों का उल्लंघन करने पर चालान किये गये वाहनों की कुल संख्या	वसूल की शमन शुल्क कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रारूप-2

यातायात नियमों/संकेतों के अनुपालन हेतु जन-सामान्य को जागरूक किये जाने के संबंध में की गयी कार्यवाही का विवरण

जनपद का नाम	यातायात पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के प्रति संवेदनशील बनाये जाने हेतु जनपद स्तर पर आयोजित की गयी कार्यशाला की संख्या	कार्यशाला में कितने यातायात पुलिस कर्मियों को यातायात सिग्नल/संकेतों की जानकारी दी गयी	विभिन्न विभागों/निजी वाहन चालकों को सुरक्षित चालन व नियमों की जानकारी दिये जाने हेतु आयोजित की गयी कार्यशाला की संख्या	स्वयं सेवी संस्थाओं/समूहो आदि के साथ आयोजित की गई गोष्ठियों की संख्या	दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सड़क दुर्घटना बाहुल्य स्थलों के बारे में जनपद स्तर पर क्या कार्यवाही की गई	यातायात सुधार हेतु की गई अन्य कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7